न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 154/2018

निर्णय दिनांक :– 23.1.2020

श्यामलाल पुत्र मोहनराम जाति नाई निवासी ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ जि.चूरू
... प्रार्थी

बनाम

1. नानूसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतनादेसर त. रतनगढ
2. छगनकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम रतनादेसर तह. रतनगढ जि. चूरू
3. औनाड़सिंह खोला. पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपूत नि. रतनादेसर त. रतनगढ जि.चूरू
...अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री अजय चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री करणीसिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 14.6.2018 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं दावा के गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता 22 की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 292 तादादी 2.3396 हैक्टेयर,ख.नं. 293 तादादी 2.1372 हैक्टेयर, ख.नं. 306 तादादी 7.6890 हैक्टेयर, ख.नं. 310 तादादी 6.6267 हैक्टेयर, ख.नं. 360 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, ख.नं. 381 तादादी 4.6033 हैक्टेयर, ख.नं. 75 तादादी 4.1354 हैक्टेयर, ख.नं. 83 तादादी 2.1246 हैक्टेयर कुल खसरे 08 कुल तादादी 30.3640 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ में स्थित है। इस भूमि के प्रार्थी व गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता22 संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी भूमि में

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

1/20 हिस्सा है और आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार ख.नं. 306 व 310 प्रार्थी एवं उसके भाईयों व बहिनों के हिस्से की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं गौण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के आगे अप्रार्थी सं. 1 की ख.नं.309 तादादी 10 बीघा 09 विश्वा भूमि रतनादेसर में स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 267 तादादी 12 बीघा 12 विश्वा, ख.नं. 322 तादादी 09 बीघा 05 विश्वा व ख.नं. 495/263 तादादी 05 बीघा 10 विश्वा कुल किता 3 तादादी 27 बीघा 07 विश्वा रोही ग्राम रतनादेसर में स्थित है।

3. प्रार्थी एवं गौणप्रतिवादीगण के खेत ख.नं. 292,293, 306 व 310 के मध्य से दक्षिणी ओर से उतरी ओर की तरफ कटाणी मार्ग जाता है। ख.नं. 75 व 83 के मध्य से कटाणी मार्ग गुजरता है। ख.नं. 306 एवं 310 के बीच से ना तो कभी कोई रास्ता रहा है ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 प्रार्थी एवं गौणप्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के ख.नं. 306 की दिखणादी आथूणी कूंट में से होकर ख.नं. 30 की उतरादी कूंट तक नया रास्ता कायम करने पर उतारू है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। ख.नं. 306 व 310 में से कभी कोई आवागमन का रास्ता नही रहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 लाठी के जोर पर अपने खेतों में जाने के लिए नया रास्ता कायम करने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थीगण 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण के द्वारा नया रास्ता कायम करने से प्रार्थी के खेत क्षतिग्रस्त होगें। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद विचारण एवं निर्णय तक वर्जित फरमाया जावे कि प्रार्थी के ख.नं. 306 व 310 रोही रतनादेसर में से कोई नया रास्ता कायम नही करें और नाही जबरन पैदल, ट्रेक्टर, उंटगाडा आदि लेकर जबरन प्रवेश करें।

4. अप्रार्थी की ओर से बार बार अवसर दिये जाने बावजूद जबाब प्रस्तुत नही किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2020 को जबाबदेही बन्द की गई।

5. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य रूप से कथन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के खेतों में जाने के लिए कटाणी रास्ता लगता है। प्रार्थी के ख.नं. 306 व

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

310 में से कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया है, उनका जबाब बन्द हो चुका है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि सदामद का रास्ता रहा है। शिकायत करने पर दिनांक 23.2.2018 को रास्ता खुलवाया गया था व पाबन्द भी किया गया था। 251 ए रा.का.अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के अभिभाषक ने जबाब में कहा कि रास्ता वर्तमान में नही है तभी 251ए का प्रार्थना पत्र लगाया है जबकि इनके खेत में जाने का अन्य वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। बहस पर मनन किया गया व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अनुसार ख.नं. 306 व 310 में कोई रास्ता अकिंत नही है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी नही किया गया है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के खेत में से नया रास्ता कायम होने से अपूर्त्य क्षति प्रार्थी को होगी, जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.6.2018 को दावा के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:03:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: